प्रेस नोट

जनपद अम्बेडकरनगर

थाना मालीपुर,

दिनांक – 20.08.2026

जनपद अम्बेडकरनगर थाना मालीपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम तेन्दुआ दियरा में हुई अजय शुक्ला पुत्र बैजनाथ शुक्ला की हत्या का सफल अनावरण – 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद अम्बेडकरनगर सुश्री प्राची सिंह द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी डॉ तेजवीर सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी जलालपुर के मार्गदर्शन में थाना मालीपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 153/26 धारा 103(1) बीएनएस की विवेचना के क्रम में प्रकाश में आये 02 नफर अभियुक्तगण गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 20.08.2026 को सुबह समय 08.20 बजे पीआरवी के माध्यम से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम तेन्दुआ दियरा थाना मालीपुर में एक व्यक्ति की लाश मिली है। घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदया तथा स्थानीय पुलिस द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। मृतक की पहचान अजय शुक्ला पुत्र बैजनाथ शुक्ला के रूप में हुई। मृतक की बहन की तहरीर के आधार पर थाना मालीपुर पर हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा 03 टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीमों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल अनिरुद्ध मिश्रा व सोनी शुक्ला को पुलिस हिरासत में लिया गया।

पूछताछ में प्रकाश में आया कि मृतक का भाई राजेश शुक्ला अपने परिवार के साथ गुजरात में रहता है। राजेश शुक्ला एवं अनिरुद्ध मिश्रा आपस में मौसा-भांजा है। मृतक अजय शुक्ला की कोई संतान नहीं थी। पूछताछ करने पर यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि अजय शुक्ला की जमीन हड़पने के लालच में राजेश शुक्ला, उसकी पत्नी सोनी शुक्ला एवं अनिरुद्ध शुक्ला द्वारा अजय शुक्ला की हत्या की घटना को दुर्घटना दिखाने की योजना बनाई गयी थी।

अनिरुद्ध मिश्रा दिनांक 17.08.2026 को अपनी मौसी सोनी शुक्ला के साथ गुजरात से चला तथा दिनांक 18.08.2026 की शाम अपने घर पहुंचा। दिनांक 19.08.2026 की शाम को अनिरुद्ध मिश्रा मृतक के घर गया और उसे शराब पिलाने के बहाने नेमपुर घाट ले गया। उसके बाद मृतक के घर वापस आए।

अभियुक्त ने बताया कि रात्रि में जब मृतक अत्याधिक नशे की हालत में था तो किचन मे रखे हुए चाकू से उसने मृतक के सर पर वार किया ओर उसके बाद गमछे से उसका गला दबाया। जब मृतक अचेत हो गया तब पास मे रखे पंखे की तार को मृतक के पैर के अंगूठे में बाँध दिया और इलेक्ट्रिक स्विच चालू कर दिया। जिससे यह लगे कि विद्युत करंट की वजह से मृतक की मृत्यू हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

01.अनिरुद्ध मिश्रा पुत्र जगदम्बा प्रसाद, निवासी ग्राम मारूपुर माउख, थाना सम्मनपुर, जनपद अम्बेडकरनगर, उम्र करीब 23 वर्ष।

02.सोनी शुक्ला पत्नी राजेश शुक्ला उम्र 35 वर्ष निवासिनी तेंदुआ दियरा थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

विवरण पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 153/26, धारा 103(1) बीएनएस, थाना मालीपुर, जनपद अम्बेडकरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अनिल कुमार शर्मा थाना मालीपुर
2. हे0का0 करुणा शंकर मिश्रा थाना मालीपुर
3. का0 मनी कुमार थाना मालीपुर
4. का0 साकेत कुमार थाना मालीपुर
5. म0का0 क्षमा सचान थाना मालीपुर